SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/04/SFCF/101 O/C **Date: -** 23.04.2025

अनुस्मारक प्रथम

सेवा में,

माननीय कुलपति जी,
चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषय :–एम0एड0 शिक्षक सत्यापन में शासनादेश के विरुद्ध केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में शासनादेश को गलत तरिके से लागू करके भौतिक सत्यापन अनिवार्य किये जाने तथा शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 में स्ववित्तपोषित संस्थानों के ही शिक्षको के लिए भौतिक सत्यापन की व्यवस्था का उल्लेख नहीं होने पर भी फर्जी तरीके से उत्पीड़न किये जाने के संदर्भ में।

संदर्भ :– फेडरशन पत्र संख्या 2025/04/SFCF/101 दिनांक 16 अप्रैल 2025

महोदया,

आप कृपया अवगत हो की फेडरशन ने अपने पत्र दिनाँक 16 अप्रैल 2025 के माध्यम से संदर्भित प्रकरण के विषय में विस्तृत रूप से अवगत कराया था तथा 16 अप्रैल 2025 को ही पत्र आपको उपलब्ध कराते हुए इस उत्पीड़क प्रथा को रोकने का अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक इस पर की कार्यवाही नहीं हुई है। शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 के क्रम में विवि0 के शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्णतया शासनादेश विरुद्ध है तथा तथ्यों को भर्मित करते हुए केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको के साथ ही की जा रही है जो की शासनादेश का स्पष्ठ उल्लंघन और शिक्षको का अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न है। **शासनादेश जिस समय निर्गत किया गया उस समय शासन ने बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0 पाठ्यक्रमों में संबद्धता प्रस्तावों को पूर्ण करने के लिए नियमो को पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश जारी किया था** जिसमे उल्लेखित नियमो की पूर्ति करने के बाद छात्र संस्थानों को आवंटित किये जाने की उस समय अपेक्षा समस्त विवि0 से की गयी थी। **शासनादेश जिसके आलोक में विवि0 प्रत्येक साल भौतिक सत्यापन करता आ रहा है उसके बिंदु (ग) में स्पष्ट उल्लेखित है की :–**

23/4/25

"उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये की संबधित महाविद्यालय/संस्थान में विवि0 द्वारा अनुमोदित निर्धारित संख्या में योग्यताधारी प्राचार्य/निदेशक व शिक्षक कार्यरत हो तथा वो सम्बंधित महाविद्यालय/संस्थान के अतिरिक्त अन्य किसी महाविद्यालय/संस्थान के लिए अनुमोदित न किये गए हो तथा किसी भी अन्य महाविद्यालय में कार्यरत न हो/प्राचार्य व शिक्षको की अहर्ताओं का मूल अभिलेखों से भली–भाती सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।"

उक्त शासनादेश में कही पर भी विवि0 को यह आदेश नहीं दिए गए है की केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षको के भौतिक सत्यापन को विवि0 प्रत्येक वर्ष करेगा और उनको काउन्सलिंग से पूर्व बुलाकर उनकी बैंक विवरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड अभिलखों की जाँच करेगा। **विवि0 विगत 19 वर्ष से केवल और केवल इस शासनादेश का उल्लेख करते हुए स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का भौतिक सत्यापन करता आ रहा है जबकि इसमें यह व्यवस्था है ही नहीं और अगर विवि0 इतनी पारदर्शी नियत का था तो विवि0 परिसर और एडेड संस्थानों में चल रहे एम0एड0 पाठ्यक्रम का भौतिक सत्यापन आज तक क्यों नहीं किया जबकि वहा नियमानुसार शिक्षक पूर्ण है नहीं है और कॉउंसलिंग में छात्र बेरोक टोक आवंटन किये जा रहे है। यहाँ अहम् तथ्य यह है की जो कमेटी बनाकर स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का भौतिक सत्यापन किया जाता है उसमे उन एडेड कॉलेज के शिक्षक सदस्य की भूमिका निभाते है जिनके यह खुद शिक्षक पूर्ण नहीं है और यह सब कृत्य संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग की देख रेख में प्रतिवर्ष संचालित किया जा रहा है।** यह स्ववित्तपोषत संस्थानों और उनके शिक्षको का शोषण नहीं है तो क्या है ?

विवि0 शिक्षको के अनुमोदन करते समय विषय विशेषज्ञ नामित करता है जो प्राचार्य/शिक्षक के मूल अभिलेख सहित समस्त निर्धारित मानकों को साक्षात्कार के समय जाँच करते है उसके उपरांत पत्रावली विवि0 के सम्बद्धत्ता विभाग में जमा की जाती है जिसके बाद आपके अथवा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत शिक्षको का अनुमोदन पत्र निर्गत होता है। विवि0 को शिक्षको के अनुमोदन सहित मानकों की जानकारी सम्बद्धत्ता विभाग से प्राप्त की जानी चाहिए और काउन्सलिंग में सम्मलित किया जाना चाहिए जैसा की अन्य पाठ्यक्रम में किया जाता है। शासनादेश के "सत्यापन" शब्द को "भौतिक सत्यापन" में बदलना अपने अप्रत्यक्ष स्वार्थ को सिद्ध करना नहीं तो और क्या है ?

संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग की शह पर जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है वो सीधा शासनादेश और संबधित अधिकारियो द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करना है। संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग एव विवि0 प्रशासन ने कभी भी विवि0 परिसर और एडेड संस्थानों में चल रहे एम0एड0 पाठ्यक्रम में ना तो शिक्षको के भौतिक सत्यापन किये और ना ही शिक्षक कम होने पर उनको कॉउंसलिंग से रोका जो स्पष्ठ करता है की विवि0 की मंशा केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के प्रति उचित नहीं है। विवि0 के शिक्षा विभाग में कुल 03 प्रोफेसर/शिक्षक वर्तमान में है जो की मानकों से कम है लेकिन विगत वर्ष इसके बावजूद भी कॉउंसलिंग से सीट आवंटन किया जाना यह दर्शाता है की विवि0 एवं संकायाध्यक्ष शिक्षा विभाग समान रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते है।

23/4/25

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION
SFCF

महोदया, स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको के लिए शासनादेश में भौतिक सत्यापन जैसी व्यवस्था नहीं होने पर भी सत्यापन कराया जाना वही विवि0 परिसर और एडेड संस्थानों में चल रहे एम0 एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षको का भौतिक सत्यापन नहीं होना और शिक्षक कम होने पर भी छात्र आवंटन किया जाना इस प्रकरण को एकपक्षीय दर्शाता है। **हम आपसे न्याय और समानता की आशा करते है और साथ ही अनुरोध करते है की अविलम्ब इस सम्बन्ध में अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए शासनादेश के विरुद्ध संचालित इस व्यवस्था को समाप्त करने के निर्देश निर्गत करने की कृपा करे। साथ ही अनुरोध है की फेडरेशन को इस आलोक में मेल आई डी sfcf2023@gmail.com पर अवगत कराने का कष्ट करे।**

सादर

सलग्नक :– शासनादेश की प्रति, पूर्व प्रेषित पत्र की प्रति।

प्रतिलिपि :–

1 –**माननीय कुलाधिपति महोदया** द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजभवन, लखनऊ।

2 –**प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग** उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3 –**कुलसचिव,** चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ। — 23/4/25

4 –**प्रो0 राकेश शर्मा, संकायाध्यक्ष,** शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ। — 23/04/25

(नितिन यादव)	प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला	प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION SFCF

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट www.sfcf.in पर SFCF Desk में भी अपलोड है।

पत्र की आधिकारिक पुष्टि वेबसाइट से की जा सकती है।